<u>मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल</u>

डी.एड एवं पी.पी.टी.सी. नवीन संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

नवीन संबद्धता/नवीनीकरण सत्र........................ आवेदन का दिनांक ....

यह आवेदन पत्र मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा समय–समय पर लागू संबद्धता संबंधी स्थाई नियमों एवं निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया जावे।

1. समिति का नाम, पंजीयन क्र. एवं पूर्ण पता ....

(समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची एवं पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)।

2.. समिति के अध्यक्ष का नाम एवं पता ....दूरभाष क्रमांक ....
मोबाइल नं. ....एस.टी.डी. कोड ....

3. समिति द्वारा संचालित डी.एड./पी.पी.टी.सी. संस्थान का एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश अनुसार पूर्ण पता (दूरभाष क्र. एवं ई–मेल आई.डी. सहित...

4. संस्था प्राचार्य का नाम/पता एवं दूरभाष क्रमांक (मोबाईल नं. सहित) ....

5. संस्था को N.C.T.E. रेग्यूलेशन की धारा 7(11) के तहत एवं N.C.T.E. एक्ट सेक्शन 14(3) (a) के द्वारा प्रदत्त मान्यता आदेश का विवरण
आदेश पत्र क्रमांक ....दिनांक ....

6. आवेदित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त संस्थान में संचालित अन्य पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी। ....

7. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मापदण्डों के आधार पर संस्थान में नियुक्त प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य शैक्षणिक एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की संबंधित जिले के शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त स्टाफ सूची आवश्यक रुप से संलग्न की जावे।

8. संस्था संचालन हेतु उपलब्ध भूमि/भवन की जानकारी
(i) क्या संस्था स्वयं के भवन में संचालित है ? अथवा भवन किराये पर लिया गया है। ....
(ii) संस्था के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल..
(iii) निर्मित भवन का क्षेत्रफल ....
(iv) शैक्षणिक कक्षों की संख्या एवं प्रत्येक का निर्मित क्षेत्रफल एवं अन्त में कुल क्षेत्रफल (वर्गफुट में) ....
कुल निर्मित क्षेत्रफल..
(v) खुली भूमि का क्षेत्रफल (वर्गफुट में) ....

9. संस्था में उपलब्ध अन्य सुविधाओं की जानकारी --

(1) शुद्ध पेय जल की व्यवस्था ....

(2) शौचालय की पृथक-पृथक व्यवस्था पुरुष/महिला ....

(3) पुस्तकालय की व्यवस्था एवं पुस्तकों की संख्या ....

(4) प्रयोग शालाओं की संख्या एवं उपलब्ध उपकरण ....

10. संस्था द्वारा, मा.शि.मं. में जमा कराए गए सम्बद्धता शुल्क नवीनीकरण/नवीन संबद्धता शुल्क का विवरण-शैक्षणिक सत्र.................. हेतु

चालान क्र   दिनांक

बैंक का नाम   जमा की गई राशि

11. संस्था के संचालक मण्डल, शिक्षक तथा विद्यार्थियों के निम्नानुसार छायाचित्र (6"x4" अथवा 8"x12") संलग्न कीजिए।

(अ) संस्था के भवन के सामने से खींचा गया छायाचित्र जिसमें सम्पूर्ण भवन तथा प्रवेश द्वार स्पष्ट दिखाई दे। उक्त छायाचित्र की पृष्ठ भूमि में संस्था के संचालक मण्डल के सदस्य एवं पदाधिकारियों के नाम एवं पद भी स्पष्ट रुप से अंकित होने चाहिये।

(ब) नवीनीकरण प्रकरणों में संस्था में प्रशिक्षणरत् प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के 25-25 छात्रों का समूह छायाचित्र ताकि प्रत्येक छात्र की पहचान हो सके।

(स) संस्था में कार्यरत शिक्षकों के छायाचित्र नाम एवं पदनाम सहित (भवन के समक्ष बैठे हुए)।

घोषणा

मैं .... पिता श्री .... समिति का नाम.. के द्वारा संचालित डी.एड. संस्थान .... के अध्यक्ष/सचिव पद पर पदस्थ हूँ। मेरे द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल से वर्तमान में लागू संबद्धता संबंधी स्थाई नियम एवं निर्देशों का पूर्ण रुप से अध्ययन करने के उपरान्त उक्त आवेदन पत्र में जानकारी प्रस्तुत की गई है। मैं घोषणा करता हूँ कि

1. ऊपर दी गई जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतया सत्य हैं तथा इनमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है न ही किसी बात को बढ़ाकर बताया गया है।

2. संस्था की प्राधिकृत समिति द्वारा शासन से प्राप्त विभागीय अनुमति, एन.सी.टी.ई. से प्राप्त मान्यता संबंधी आदेश एवं मण्डल द्वारा लागू संबद्धता संबंधी स्थाई नियमों एवं निर्देशों का अध्ययन कर लिया गया है तथा एतद् द्वारा इन सभी शर्तों को मान्य करता हूँ।

3. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अधिकृत अधिकारियों के संस्था में निरीक्षण हेतु उपस्थित होने पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी को एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी समस्त मापदण्डों, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, राज्य शिक्षा केन्द्र एवं मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधी नियमों एवं निर्देशों के संदर्भ में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुये निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा चाहे गये समस्त दस्तावेज एवं अभिलेख संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे।

4. मैं यह घोषणा करता हूँ कि संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई., माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र एवं म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग से समय-समय पर जारी किये गये नियमों एवं निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जावेगा। अन्यथा स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त की गई संबद्धता समाप्त करने का अधिकार होगा जिसमें मुझे या मेरी समिति को कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान ....

दिनांक ....

समिति अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा   **समिति सचिव के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा**